ETHICS COMMITTEE

(2015-2016)

| 1. | Shri Narayan Dutt Sharma | Chairperson | | |
|-------------|-----------------------------------|---------------|--|--|
| 2. | Shri Raghuvinder Shokeen | Member | | |
| 3. | Ms. Bhavna Gaur | Member | | |
| 4. | Shri. S.K. Bagga | Member | | |
| 5. | Shri Raju Dhingan | Member | | |
| 6. | Shri Dinesh Mohaniya | Member | | |
| 7. | Shri Amanatullah Khan | Member | | |
| 8. | Ch. Fateh Singh | Member | | |
| 9. | Shri Saurabh Bhardwaj | Member | | |
| Secretariat | | | | |
| 1. | Shri Prasanna Kumar Suryadevara - | Secretary | | |
| 2. | Shri Rajender Prashad - | Dy. Secretary | | |

REPORT OF ETHICS COMMITTEE

Introduction

I, The Chairman of the Ethics Committee having been authorized by the Committee to submit the report on their behalf in the matter of Hon'ble MLA Shri O.P. Sharma allegedly damaging the mike in the House on 30/6/15 present the report to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha.

The Committee wishes to place on record its appreciation of the valuable assistance rendered by the officers and staff of the Assembly Secretariat during its meetings as also in the preparation of the report.

DELHI 20 NOVEMBER 2015 (NARAYAN DUTT SHARMA
CHAIRMAN
ETHICS COMMITTEE

NCT OF DELHI

ETHICS COMMITTEE

In the matter of Shri O.P. Sharma, Hon'ble MLA damaging the mike in the House on June 30, 2015

Report

The Charge

On June 30, 2015 at about 2.45 P.M when replies to Starred questions were in progress, Shri O.P. Sharma allegedly damaged the mike installed at his seat by violently shaking it. Many MLAs protested against his behaviour. Shri Somnath Bharti requested the Hon'ble Speaker to deduct the cost of the mike from the salary of Shri O. P. Sharma. The Hon'ble Speaker referred the matter to the Ethics Committee.

The Proceedings

The Ethics Committee took cognizance of the matter in its first meeting dated July 20, 2015 in which it was directed, as is required by the principles of natural justice and fair play, that Shri O.P Sharma should be asked to furnish his written reply in this regard.

Shri O.P. Sharma, Hon'ble MLA submitted his written reply dated August 11, 2015 terming the allegation of damaging the mike as completely baseless and politically motivated. He requested that CCTV footage of the House be made available to him so as to enable him to submit a detailed explanation.

The Ethics Committee in its second meeting held on Oct. 15, 2015 considered Shri O.P. Sharma's reply and unanimously decided that the Hon'ble MLA Shri O.P. Sharma may be provided with the video footage available with the Assembly Secretariat. The Committee also directed that Shri Sharma be asked to present himself before the Committee on Oct. 26, 2015. The Committee also directed that Shri Somnath Bharti, Hon'ble MLA, the complainant be also asked to appear before the Committee on the same date.

The required footage, as web-cast on June 30, 2015 and as available with the Assembly Secretariat, was sent to Shri O.P. Sharma, Hon'ble MLA in a DVD alongwith the notice asking him to appear before the Committee on Oct., 26, 2015.

Shri. O.P. Sharma, Hon'ble MLA responded to the notice and appeared before the Committee on Oct., 26, 2015 but the meeting of the Ethics Committee could not commence on time i.e. at 3.00 P.M. for want of quorum. Shri O.P. Sharma left the committee venue after waiting for over ten minutes. He requested the Committee officers that he be not called for the next meeting of the Committee before Nov. 8, 2015.

In deference to Shri Sharma's request, the Ethics Committee (the quorum having been fulfilled at 3.15 P.M.) directed that Shri Sharma and Shri Somnath Bharti Hon'ble MLAs be called to appear before the Committee on Nov.16, 2015.

On Nov. 16, 2015 both Shri O.P. Sharma and Shri Somnath Bharti Hon'ble MLAs appeared before the Committee. In the meeting Shri O.P. Sharma made the following two points:

- (a) The footage sent to him by the Secretariat does not anywhere capture the incident of he damaging the mike.
- (b) If the mike was broken, why it did not come off into his hands.

Shri Somnath Bharti the complainant in this case was asked by the Committee to give his account of the incident. Shri Somnath Bharti stated that Shri O.P. Sharma was in completely agitated mood that day. The whole House and the media have witnessed the said incident, Shri Bharti said. By damaging the mike he has insulted the whole House and this is the type of conduct which does not behove even a common man, let alone a MLA, he added. The video clip which was played before the committee today fully establishes damaging of mike by Shri O.P. Sharma on June, 30, 2015, Shri Bharti argued.

The Ethics Committee considered this matter in its entirety. It was pointed out to Shri O.P. Sharma that in the House the focus of the camera is always on the member who is permitted to speak by the Hon'ble Speaker. It does not capture all the activities of the House. As far as the damaged mike is concerned it is available

with the JE (Elect.) posted in Vidhan Sabha. The authorities concerned have also given the estimate for replacing the damaged mike.

Shri O.P. Sharma was confronted with the following four newspaper clippings of July 01, 2015:

- (a) Dainik Jagran (Hindi)
- (b) Nav Bhart Times (Hindi)
- (c) The Statesman (English)
- (d) The Hindustan Times (English)

These news reports unambiguously corroborated what was witnessed in the House by the Members and what was told to the Committee by Shri Bharti.

Shri O.P. Sharma was also shown video clips of this incident telecast by two channels viz. India News and V6 News in the TV monitor installed in MLA lounge No.1 where the meeting was held.

When asked by members of the Committee about his act of damaging the mike, Shri O.P. Sharma called it a 'natural conduct'. When asked if he recognized himself in the video clips of two TV channels shown to him, he replied in the affirmative. When asked if it was he who was seen violently shaking the mike, he stated that all members do it.

Now the issue before the Ethics Committee is whether Shri O.P. Sharma is guilty of damaging mike or not. The Committee has the following evidence/material before it.

- (1) The entire House including the members of Ethics Committee present in the House on June 30, 2015 witnessed this incident.
- (2) Four Newspapers clippings of July 01, 2015 (2 in Hindi and 2 in English) clearly reporting the fact of mike getting damaged by Shri O.P. Sharma.
- (3) Video clips shown to Shri O.P. Sharma and the members of the Committee on Nov. 16, 2015 where the incident is clearly brought out/shown.

Conclusion and Recommendations

In view of the above, the Committee is fully convinced that Shri O.P Sharma damaged the mike installed at his seat on June 30, 2015. During the entire meeting the Committee tried to reason out with Shri O.P. Sharma to see if he had any regrets about his conduct. The Committee was of the view that, had Mr. O.P. Sharma expressed regret for his misconduct, he could have been let off with a But it was not to be. Shri O.P. Sharma, whose abrasive behavior in the House -- be it running to the Chief Minister's seat, be it challenging the decision of Hon'ble Speaker from time to time, be it repeated interjections when other members/ministers are speaking in the House -- is very well documented, remained defiant. He categorically told the Committee that he had not done anything for which he has to express regrets. The Committee has noted with deep anguish that Shri O.P. Sharma's reply betrayed no repentance, let alone apology. Therefore, the Committee is constrained to recommend that the full cost incurred on replacing the mike damaged by Shri O.P. Sharma be recovered from his salary. The Committee further recommends that Shri O.P. Sharma be warned not to resort to such misconduct in future.

DELHI 20 NOVEMBER 2015 (NARAYAN DUTT SHARMA)
CHAIRMAN
ETHICS COMMITTEE

विधान सभा रा.रा.क्षे. दिल्ली

आचार समिति

(2015—16)

| 1. | श्री नारायण दत्त शर्मा | | सभापति |
|----|-------------------------------|---------|---------|
| 2. | श्री रघुविंदर शौकीन | | सदस्य |
| 3. | सुश्री भावना गौड़ | | सदस्य |
| 4. | श्री एस.के. बग्गा | | सदस्य |
| 5. | श्री राजू धिंगान | | सदस्य |
| 6. | श्री दिनेश मोहनिया | | सदस्य |
| 7. | श्री अमानतुल्लाह खान | | सदस्य |
| 8. | चौ. फतेह सिंह | | सदस्य |
| 9. | श्री सौरभ भारद्वाज | | सदस्य |
| | | | |
| | | सचिवालय | |
| 1. | श्री प्रसन्न कुमार सूर्यदेवरा | | सचिव |
| 2. | श्री राजेंद्र प्रसाद | | उप सचिव |

आचार समिति का प्रतिवेदन

परिचय

में, आचार समिति का सभापति, समिति की ओर से माननीय विधायक श्री ओ.पी. शर्मा द्वारा कथित रूप से दिनांक 30/6/2015 को सदन में माइक क्षतिग्रस्त करने के प्रकरण में समिति की ओर से अधिकृत किए जाने पर अपना प्रतिवेदन माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को प्रस्तुत करता हूं।

समिति विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा अपनी बैठक के दौरान तथा प्रतिवेदन को तैयार करने में दिए गए महत्त्वपूर्ण सहयोग के लिए उनकी सराहना को भी दर्ज किए जाने की इच्छा प्रकट करती है।

दिल्ली

दिनांक : 27 नवंबर, 2015

(नारायण दत्त शर्मा)

अध्यक्ष

आचरण समिति

विधान सभा रा.रा.क्षे. दिल्ली आचार समिति

श्री ओ.पी. शर्मा, माननीय विधायक द्वारा सदन में दिनांक 30 जून, 2015 को माइक तोड़े जाने के संबंध में

प्रतिवेदन

आरोप

जून 30, 2015 को अपराहन लगभग 2.45 बजे जब तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे थे, श्री ओ.पी. शर्मा ने कथित तौर पर अपने आसन पर लगे माइक को गुस्से से झिंझोड़ते हुए क्षतिग्रस्त कर दिया। अनेक विधायकों ने उनके इस व्यवहार का विरोध किया। श्री सोमनाथ भारती ने माननीय अध्यक्ष से अनुरोध किया कि माइक का मूल्य श्री ओ.पी. शर्मा के वेतन से काटा जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह मामला आचार समिति को सौंप दिया।

कार्रवाई

आचार समिति ने दिनांक 20 जुलाई, 2015 की अपनी पहली बैठक में इसका संज्ञान लिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत तथा निष्पक्ष व्यवहार की अपेक्षाओं के अनुरूप यह निदेश दिया गया कि श्री ओ.पी. शर्मा से इस संबंध में लिखित उत्तर देने के लिए कहा जाए।

श्री ओ.पी. शर्मा, माननीय विधायक ने अपना लिखित उत्तर दिनांक 11 अगस्त, 2015 को प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि माइक क्षतिग्रस्त करने का आरोप पूरी तरह से आधारहीन तथा राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें सदन की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराई जाए जिससे वे विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकें।

आचार समिति ने दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 को हुई अपनी दूसरी बैठक में श्री ओ. पी. शर्मा के उत्तर पर विचार किया और सर्वसम्मित से यह निर्णय किया कि माननीय विधायक श्री ओ.पी. शर्मा को विधानसभ सचिवालय के पास उपलब्ध वीडियो फुटेज दिखाई जाए। समिति ने यह भी निदेश दिया कि श्री शर्मा को समिति के समक्ष दिनांक 26 अक्टूबर, 2015 को उपस्थित होने के लिए कहा जाए। समिति ने यह भी निदेश दिया कि शिकायतकर्ता श्री सोमनाथ भारती, माननीय विधायक को भी उसी तिथि को समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा जाए।

वांछित फुटेज, जैसी 30 जून, 2015 को वेबकास्ट हुई व जैसी विधानसभा सिववालय के पास उपलब्ध है, श्री ओ.पी. शर्मा, माननीय विधायक को एक डीवीडी में एक नोटिस के साथ भेजी गई जिसमें उनसे दिनांक 26 अक्टूबर, 2015 को सिमित के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया था।

श्री ओ.पी. शर्मा, माननीय विधायक नोटिस के प्रत्युत्तर में सिमिति के समक्ष दिनांक 26 अक्टूबर, 2015 को उपस्थित हुए किंतु आचार सिमिति की बैठक समय पर, अर्थात् अपराहन 3.00 बजे कोरम पूरा न होने के कारण आरंभ नहीं हो सकी। श्री ओ.पी. शर्मा 10 मिनट से अधिक समय तक प्रतीक्षा करने के बाद बैठक स्थल से चले गए। उन्होंने सिमिति के अधिकारियों से अनुरोध किया कि सिमिति की अगली बैठक में उन्हें 8 नवंबर, 2015 के पहले न बुलाया जाए।

श्री शर्मा के अनुरोध का सम्मान करते हुए आचार समिति ने (3.15 अपराह्न तक कोरम पूरा हो जाने पर) निदेश दिया कि माननीय विधायकों, श्री शर्मा व श्री सोमनाथ भारती को 16 नवंबर, 2015 को समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया जाए। श्री सोमनाथ भारती 16 नवंबर, 2015 को समिति के समक्ष उपस्थित हुए।

16 नवंबर, 2015 को दोनों माननीय विधायक श्री ओ.पी. शर्मा व श्री सोमनाथ भारती समिति के समक्ष उपस्थित हुए। बैठक में श्री ओ.पी. शर्मा ने निम्नलिखित दो बातें रखीं :

- (क) उन्हें भेजी गई फुटेज में कहीं भी माइक को क्षतिग्रस्त करने की घटना दर्ज नहीं है।
- (ख) यदि माइक टूट गया था तो टूटकर यह उनके हाथ में क्यों नहीं आया?

समिति द्वारा इस मामले में शिकायतकर्ता श्री सोमनाथ भारती से घटना के बारे में उनका पक्ष बताने के लिए कहा गया। श्री सोमनाथ भारती ने कहा कि श्री ओ.पी. शर्मा उस दिन पूरी तरह उत्तेजित मनःस्थिति में थे। श्री भारती ने कहा कि पूरे सदन ने व मीडिया ने उक्त घटना को देखा है। उन्होंने कहा कि माइक को क्षतिग्रस्त करके उन्होंने पूरे सदन का अपमान किया है और विधायक को तो छोड़िए, इस प्रकार का व्यवहार तो एक आम आदमी के लिए भी उचित नहीं है। श्री भारती ने तर्क दिया कि समिति के समक्ष आज दिखाई गई वीडियो क्लिप से श्री ओ.पी. शर्मा द्वारा दिनांक 30 जून, 2015 को माइक क्षतिग्रस्त करना पूरी तरह से सिद्ध होता है।

आचार समिति ने इस प्रकरण पर उसकी संपूर्णता में विचार किया। श्री ओ.पी. शर्मा को यह बताया गया कि सदन में कैमरे का रुख सदैव उस सदस्य की ओर होता है जिसे माननीय अध्यक्ष ने बोलने की अनुमित दी होती है। इसमें सदन की समस्त गतिविधियां दर्ज नहीं होतीं हैं। जहां तक क्षतिग्रस्त माइक का संबंध है, यह विधानसभा में तैनात किनष्ट

अभियंता (विद्युत) के पास उपलब्ध है। संबद्ध प्राधिकारियों ने माइक को बदले जाने का अनुमानित व्यय भी दे दिया है।

श्री ओ.पी. शर्मा के सामने 1 जुलाई, 2015 की निम्नलिखित चार समाचारपत्रों की कतरनें भी रखी गईं।

- (क) दैनिक जागरण (हिंदी)
- (ख) नवभारत टाइम्स (हिंदी)
- (ग) द स्टेट्समेन (अंग्रेजी)
- (घ) द हिंदुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी)

सदन में सदस्यों ने जो देखा और जो श्री भारती ने समिति को बताया, वह इन समाचारों से असंदिग्ध रूप से पुष्ट होता था।

श्री ओ.पी. शर्मा को एमएलए लाउंज, जहां बैठक हो रही थी, में स्थित टीवी मॉनीटर में इस घटना के वे वीडियो क्लिप भी दिखाए गए जो दो चैनलों, इंडिया न्यूज व वी6 ने प्रसारित किए थे।

जब समिति के सदस्यों ने उनसे माइक क्षतिग्रस्त करने के उनके इस कृत्य के बारे में पूछा तो श्री ओ.पी. शर्मा ने इसे 'स्वाभाविक व्यवहार' बताया। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो दोनों टीवी चैनलों द्वारा दिखाई गई वीडियो क्लिपों में स्वयं को पहचान रहे हैं तो उन्होंने इसका उत्तर हां में दिया। जब उनसे पूछा गया कि जिसे गुस्से से माइक को झिंझोड़ते हुए देखा जा रहा है क्या ये वही हैं तो उन्होंने कहा कि सभी सदस्य ऐसा करते हैं।

अब आचार समिति के समक्ष मुद्दा यह है कि श्री ओ.पी. शर्मा माइक क्षतिग्रस्त करने के दोषी हैं या नहीं। समिति के समक्ष इस संबंध में निम्नलिखित प्रमाण/सामग्री है।

- (1) संपूर्ण सदन ने, जिसमें आचार समिति के सदस्य भी सम्मिलित हैं, 30 जून, 2015 को यह घटना देखी है।
- (2) 1 जुलाई, 2015 के चार समाचारपत्र (दो हिंदी के व दो अंग्रेज़ी के), जिनमें श्री ओ. पी. शर्मा द्वारा माइक को क्षतिग्रस्त किए जाने के तथ्य को स्पष्ट रूप में बताया गया है।
- (3) श्री ओ.पी. शर्मा व समिति के सदस्यों को 16 नवंबर, 2015 को दिखाई गई वीडियो क्लिप, जिसमें घटना को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।

निष्कर्ष व संस्तुतियां

उपर्युक्त को देखते हुए समिति पूरी तरह से आश्वस्त है कि 30 जून, 2015 को श्री ओ.पी. शर्मा ने अपने आसन पर लगे माइक को क्षतिग्रस्त किया। पूरी बैठक के दौरान समिति ने श्री ओ.पी. शर्मा से यह जानने का प्रयास किया कि क्या उन्हें अपने व्यवहार के लिए कोई खेद है। समिति का यह मत था कि यदि श्री ओ.पी. शर्मा ने अपने दुर्व्यवहार पर खेद प्रकट किया होता तो उन्हें चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं था। श्री ओ.पी. शर्मा, जिनका आहत करने वाला व्यवहार — चाहे वह मुख्यमंत्री के आसन की ओर दौड़ना हो, चाहे माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्णय को चुनौती देना हो, चाहे अन्य सदस्यों के बोलते समय बार—बार टोकाटाकी करना हो — ठीक से दर्ज है, अवज्ञापूर्ण रहे हैं। उन्होंने समिति को स्पष्ट रूप से बताया है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए उन्हें खेद प्रकट करना पड़े। समिति ने गहरे दुःख के साथ देखा है कि क्षमायाचना तो दूर की बात है, श्री ओ.पी. शर्मा ने कोई पश्चाताप तक प्रकट नहीं किया है। एतदर्थ, समिति बाध्य होकर यह संस्तुति करती है कि श्री ओ.पी. शर्मा द्वारा क्षतिग्रस्त किए गए माइक को बदले जाने का पूरा खर्च उनके वेतन से लिया जाए। समिति यह संस्तुति भी करती है कि श्री ओ.पी. शर्मा को मविष्य में ऐसा दुर्व्यवहार न करने की चेतावनी भी दी जाए।

दिल्ली

दिनांक : 27 नवंबर, 2015

(नारायण दत्त शर्मा) अध्यक्ष

आचरण समिति